

जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल

स्रोत: पी.आई.बी

केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए [महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम \(MGNREGA\), 2005](#) के अंतर्गत **जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल** शुरू की है।

- **जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल:** इसका उद्देश्य भूजल स्तर में गिरावट को कम करना और दीर्घकालिक ग्रामीण जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके क्रियान्वयन हेतु, **MGNREGA अधिनियम, 2005 में संशोधन करके जल संरक्षण कार्यों को अनिवार्य बनाया गया** और इसके लिये नधि आवंटित की गई, जिससे इस पहल को सांविधिक समर्थन मिला।
 - 'अतिजल संकट ग्रस्त' ब्लॉकों में, **MGNREGA नधि का 65% जल-संबंधी कार्यों के लिये उपयोग किया जाएगा।**
 - 'अर्ध-गंभीर' ब्लॉकों में, **MGNREGA नधि का 40% जल संरक्षण पर व्यय किया जाएगा।**
 - यहाँ तक कि जिन ब्लॉकों में जल की कमी नहीं है, वहाँ भी कम से कम **30% नधि जल-संबंधी कार्यों पर व्यय की जाएगी।**
 - यह तदर्थ जल कार्यों से ध्यान हटाकर व्यवस्थित जल सुरक्षा नयोजन पर केंद्रित करता है तथा '**कैच द रेन**' और '**अमृत सरोवर**' जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **जल संरक्षण में MGNREGA की उपलब्धियाँ:** MGNREGA विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम बन गया है, जिसने कृषि तालाबों और चेकडैम जैसी **1.25 करोड़ से अधिक जल संरक्षण परियोजनाओं** का निर्माण किया है।
 - इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट कम हुआ है। **मशिन अमृत सरोवर** के तहत, पहले चरण में 68,000 से अधिक जलाशयों का निर्माण या पुनरुद्धार किया गया।

और पढ़ें: [जल प्रबंधन: अभाव से स्थायित्व तक](#)